

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 जुलाई 2020 — आषाढ़ 15, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-3-5/2013/1-7. — विभागीय समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 28-05-2013 के द्वारा जिला बस्तर के थाना दरभा अंतर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में दिनांक 25-05-2013 को घटित नक्सलियों द्वारा कारित की गई हिंसात्मक घटना के संबंध में जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोक महत्व के विषय की विशेष जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय बिलासपुर की अध्यक्षता में किया गया है. जांच आयोग को सौंपे गये जांच बिन्दुओं के अंतर्गत उक्त घटना के सम्पूर्ण पहलुओं के तथ्य एवं पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं होने के कारण न्यायिक जांच के अतिरिक्त बिंदु को जोड़ते हुए अधिसूचना दिनांक 31-01-2019 द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 31-12-2019 तक वृद्धि की गई थी, परन्तु निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण समय-समय पर विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-01-2020 तथा 30-03-2020 द्वारा आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की गई है, जो दिनांक 30-06-2020 को समाप्त हो चुकी है.

2. चूंकि जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः आयोग के प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन एतद्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 01-07-2020 से दिनांक 30-09-2020 तक 03 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी.सिंह, सचिव.